संख्या-31/2026/818 के-2/22-3-2025-17(1079)/2025

प्रेषक,

कमलेश कुमार,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3 लखनऊः दिनांक 23 जनवरी, 2026

विषयः- केन्द्रीय कारागार, नैनी, प्रयागराज में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी सन्तराम पुत्र श्री रामअधार, निवासी जनपद-अयोध्या वर्तमान अम्बेडकरनगर की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अधीक्षक (मु0) कारागार के पत्र संख्या-36096/प्रोबे0-5-दया0 बैठक-01-09-2025, दिनांक 15.09.2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, नैनी, प्रयागराज में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी सन्तराम पुत्र श्री रामअधार, जो खानूपुर मजरे ताजूपुर, थाना-सम्मनपुर, जनपद-अयोध्या वर्तमान अम्बेडकरनगर का निवासी है। बन्दी द्वारा पुरानी रंजिश को लेकर दिनांक 17-03-1980 को 12 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर कुल्हाड़ी, चाकू व लाठी से मारकर 03 व्यक्तियों की हत्या कारित की गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-277/1980 में भा0द0वि0 की धारा-302/149, 148 के अन्तर्गत मा0 न्यायालय, पंचम अपर सत्र न्यायाधीश, फैजाबाद के दण्डादेश दिनांक 24.04.1982 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया, मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश दिनांक 10.05.2018 एवं मा0 उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली के आदेश दिनांक 04.02.2019 द्वारा बंदी की अपील निर्णीत करते हुए मा0 सत्र न्यायालय द्वारा दी गयी आजीवन कारावास की सजा को यथावत रखा गया। जेल रिपोर्ट के अनुसार बंदी द्वारा दिनांक 06.06.2025 तक 06 वर्ष, 03 माह, 13 दिन की अपरिहार तथा 07 वर्ष, 03 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है तथा बंदी की आयु 76 वर्ष, 07 माह, 28 दिन है।

जिला मजिस्ट्रेट एवं पुलिस अधीक्षक, अम्बेडकरनगर द्वारा बन्दी द्वारा कारित अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित किये बिना व्यक्ति विशेष तक सीमित अपराध की श्रेणी में नहीं होने, भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, जेल में और आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने की आख्या अंकित करते हुए बंदी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

दयायाचिका समिति द्वारा जेल रिपोर्ट के अनुसार बंदी को मा0 न्यायालय द्वारा प्रदत्त आजीवन कारावास के सापेक्ष दिनांक 06-06-2025 तक अपरिहार 06 वर्ष, 03 माह, 13 दिन तथा सपरिहार 07 वर्ष, 03 दिन की सजा भोगे जाने, रिहा होने पर समाज में प्रतिकूल संदेश जाने, बंदी द्वारा कारित अपराध की प्रकृति (03 व्यक्तियों की हत्या) एवं पुलिस अधीक्षक/जिला मजिस्ट्रेट, अम्बेडकरनगर द्वारा समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं किये जाने के दृष्टिगत सभी बिन्दुओं पर सम्यक् विचारोपरान्त बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, नैनी, प्रयागराज में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी सन्तराम (बंदी संख्या-502/23) पुत्र श्री रामअधार, निवासी जनपद-अयोध्या वर्तमान अम्बेडकरनगर की भारत का संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
कमलेश कुमार
उप सचिव

संख्या व दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- जिला मजिस्ट्रेट, अम्बेडकरनगर।

2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, नैनी, प्रयागराज।

3- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन।

4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।